

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक ११

/विकास कार्य/नि0सू0/2025-26

दिनांक ०२/०५/२०२५

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदार निम्न कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु टू-बिड के आधार पर मुहरबन्द ई-निविदा दिनांक 22.05.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त निविदा की टैक्नीकल बिड को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोले जाने हेतु अलग से सूचना प्रेषित की जायेगी। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

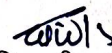
उक्त कार्य की निविदा मूल्य हेतु पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, अन्य शर्तों के अनुसार सभी अभिलेखों को उक्त बैबसाईट में नियत तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा। इन सभी की मूल प्रति एक लिफाफे में दिनांक 23.05.25 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक वांछित अभिलेख/बिड डाकूमेन्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। मुख्य शर्तें उक्त बैब साईट में दी गयी हैं। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र० सं०	विवरण	लागत (रु० लाख में)	धरोहर राशि (रु० लाख में)	निविदा मूल्य जी०एस०टी० सहित	समय सीमा
1	अम्बेडकर मार्ग डी०एल० रोड में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	200.00	4,00,000.00	5,900.00	12 माह

अन्य नियम एवं शर्तें

निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं :-

1. निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, **No Dues** के सम्बन्ध में, एवं जी०एस०टी०, आई०टी० व अन्य विभागों के सम्बन्ध में रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रु० 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 770/iii(2) 17-20(सामान्य) 2011 टी०सी० दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
3. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।



अधिशासी अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।